



BY SPEED POST

MNG-01/Admn/RTI-Corres/05-11/490-493

July 12, 2022

To
SHRI ASHISH KUMAR SINGH
A. N. SINGH ROAD, SOUTH KUSAI,
(SHAMBHU SHARAN PRASAD SINGH KE GHAR KENIKAT),
DORANDA, RANCHI, Pin:834002
Mob: 7277530407

Sub:- Information under RTI Act, 2005 – Information sought - Reg.

- Ref:- 1. RTI application Reg. No. NIAEM/R/T/22/00008, dt.29/06/2022.
2. RTI application Reg. No. NIAEM/R/T/22/00009, dt.30/06/2022.
3. RTI application Reg. No. NIAEM/R/T/22/00010, dt.30/06/2022.
4. RTI application Reg. No. NIAEM/R/T/22/00011, dt.01/07/2022.

Sir,

This is with reference to your RTI application cited above, requested MANAGE to provide information under RTI Act, 2005. The information sought is furnished pointwise in the enclosed **ANNEXURE** for your information.

If the applicant is not satisfied with the information, you may file an appeal to the First Appellate Authority within 30 days of receipt of reply of CPIO. The name, designation and complete address of the First Appellate Authority of this Institute is as under:-

Dr. P. Chandra Shekara

Director General

National Institute of Agricultural Extension Management (MANAGE),

Rajendranagar, HYDERABAD – 500 030 (TS)

Ph: 040-24015253 (O), Fax: 040-24015388

Email: dgmanage@manage.gov.in

Yours sincerely,

Central Public Information Officer (CPIO)

Encl: Annexure

राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज)

(कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का संगठन, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030. टी.एस. भारत)

NATIONAL INSTITUTE OF AGRICULTURAL EXTENSION MANAGEMENT (MANAGE)

(An organization of Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India)

Rajendranagar, Hyderabad - 500 030. T.S., INDIA

Telephone : +91 (040) 24594509

Fax : +91 (040) 24015388; Web : manage.gov.in

दिनांक: 08/07/2022

सूचना प्राप्त करने हेतु अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत आवेदन

विषय : सूचना प्राप्त करने हेतु अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत आवेदन का उत्तर

संदर्भ: आदेश संख्या 3720 (ई), दिनांक: 30 जुलाई 2018

फाईल सं. 3-20/2015 फर्ट, लॉ (प्रतिलिपि स्थायी) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित। (विभाग कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण)

"नहीं, प्राधिकरण पत्र"

राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज) द्वारा दस बिन्दुओं पर उत्तर उपलब्ध कराया जा रहा है।

उपरोक्त के संदर्भ में कृपया निम्नलिखित दस बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध करायें:-

1. उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर झारखंड राज्य के "24 केवीके" से केंद्रों की जानकारी प्रदान करें, जिसमें उपरोक्त "15 दिवसीय प्रमाण पत्र कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

उत्तर - उर्वरक डीलरों के लिए एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन पर सर्टिफिकेट कोर्स (सीसीआईएनएम) झारखंड राज्य में स्थित किसी भी केवीके द्वारा आयोजित नहीं किया जा रहा है।

2. उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर कृपया जानकारी दें कि झारखंड राज्य का कृषि विश्वविद्यालय किस राज्य में उपरोक्त सर्टिफिकेट कोर्स आयोजित किया जा रहा है।

उत्तर - झारखंड राज्य में स्थित किसी भी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सीसीआईएनएम का आयोजन नहीं किया जा रहा है।



N. N. #

3. उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज) द्वारा आयोजित उपरोक्त 15 दिवसीय प्रमाणपत्र कार्यक्रम की जानकारी प्रदान करें।

उत्तर - उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, त्रिपुरा और कर्नाटक के राज्य कृषि प्रबंधन और विस्तार प्रशिक्षण संस्थानों (समेति) से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर, मैनेज उपरोक्त राज्यों में सीसीआईएनएम लागू कर रहा है।

4. कृपया उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर जानकारी प्रदान करें अर्थात् यह 15 दिनों का सर्टिफिकेट कोर्स राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायत राज संस्थान (एनआईआरडी एंड पीआर) द्वारा आयोजित किया जा रहा है।

उत्तर - मैनेज विभिन्न नोडल प्रशिक्षण संस्थानों (एनटीआई) के प्रस्ताव के आधार पर समेति के माध्यम से सीसीआईएनएम कार्यक्रमों को लागू कर रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान (NIRD&PR) के संबंध में, मैनेज के पास कोई जानकारी नहीं है।

5. कृपया उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर जानकारी प्रदान करें अर्थात् भारतीय उर्वरक संघ द्वारा 15 दिवसीय प्रमाणपत्र कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।

उत्तर - मैनेज के पास भारत के उर्वरक एसोसिएशन (आईएफए) द्वारा आयोजित कार्यक्रम के संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

6. कृपया 15 दिनों के सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करें (जैसे कोर्स का ब्रोशर, कोर्स की संरचना/कोर्स की रूपरेखा, कोर्स की अवधि/कोर्स फीस, फीस में सरकारी रियायत, कोर्स का मोड एकजीक्यूटिव ऑफलाइन या ऑनलाइन, नंबर) प्रत्येक बैच में सीटों की संख्या, पाठ्यक्रम शुरू होने और बंद होने की तारीख नामांकन/आवेदन प्रारंभ और अंतिम तिथि।

उत्तर - एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (सीसीआईएनएम) पर 15 दिनों के सर्टिफिकेट कोर्स पर विस्तृत जानकारी वाले दिशानिर्देश उत्तर के साथ संलग्न हैं।



N. N. #

7. कृषि विज्ञान केन्द्र, राज्य कृषि विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, पंचायत राज और राष्ट्रीय संस्थान द्वारा नियमित रूप से आयोजित वर्ष के मध्य में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर कृपया जानकारी प्रदान करें कि क्या कोई नागरिक इस प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिए नामांकन कर सकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट एंड फर्टिलाइजर एसोसिएशन या कोई भी समय अवधि पहले से तय है।

उत्तर - जैसे ही 30 उम्मीदवार बैच के लिए उपलब्ध होते हैं, केवीके, आत्मा, जैसे प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है।

8. झारखंड राज्य के केवीके, राज्य कृषि विश्वविद्यालय, एनआईआरडीपीआर, मैनेज और इंडियन फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन द्वारा जारी किए जा रहे इस 15 दिनों के सर्टिफिकेट कोर्स के लिए नामांकन और अखबार में विज्ञापन के उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर कृपया जानकारी प्रदान करें, यदि हां, तो कृपया अंतिम जारी विज्ञापन की प्रति उपलब्ध कराएं।

उत्तर - सीसीआईएनएम कार्यक्रम के लिए नामांकन स्थानीय प्रशिक्षण संस्थानों जैसे केवीके, आत्मा आदि द्वारा किया जाता है, विज्ञापन की प्रतियां मैनेज के पास उपलब्ध नहीं हैं।

9. उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर कृपया जानकारी दें कि क्या यह 15 दिनों का सर्टिफिकेट कोर्स झारखंड राज्य में स्थित केवीके, राज्य कृषि विश्वविद्यालय, एनआईआरडीपीआर, मैनेज, आईएफए द्वारा लगातार आयोजित किया जा रहा है।

उत्तर - जैसे ही 30 उम्मीदवार एक बैच के लिए उपलब्ध होते हैं, केवीके, आत्मा, जैसे प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है।

10. उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर कृपया जानकारी दें कि झारखंड राज्य के कितने लोग इस 15 दिनों के सर्टिफिकेट कोर्स केवीके और राज्य कृषि विश्वविद्यालय, एनआईआरडीपीआर, मैनेज, आईएफए द्वारा प्रदान किए जाते हैं। कृपया डेटा (आंकड़े) प्रदान करें।

उत्तर - मैनेज द्वारा झारखंड राज्य में सीसीआईएनएम के तहत किसी भी उम्मीदवार को प्रशिक्षित नहीं किया गया है।

